




-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "डाबरी कलकत्ता व्हाया लातरीटोला माहुरदल्ली बोदालझोला सड़क निर्माण कार्य" हेतु तहसील किरनापुर आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 218, 217B, 219, 211, 212, 213B, 214, 215, 221, 215 के वन क्षेत्र में 11.76 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत कण्डरा एवं बक्कर जनपद पंचायत किरनापुर के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रतिक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं हैं एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति किरनापुर के द्वारा "डाबरी कलकत्ता व्हाया लातरीटोला माहुरदल्ली बोदालझोला सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

 (सचिव)	 (सदस्य)	 (अध्यक्ष)
सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट	वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट	कलेक्टर जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

FORM-I

Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No. 2178

Dated 8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 16.65 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **Dabri- Kolkata VS Lataritola Mahurdalli Bodaljholia Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in Balaghat district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Kirnapur Tah./Block Kirnapur, Village- Kalkata Bakkar No. 218, 217B, 219, 211, 212, 213B, 214, 215, 221, 215 Total Area 11.76 Hec. in Forest land village(s) in Kirnapur tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 11.76 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:


 (Dr. Girish Kumar Mishra)

 Signature
 (full name and official seal of the District Collector)
 BALAGHAT